

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- ५५७२

दिनांक:- 11.07.2024

विज्ञप्ति संख्या 02/2024

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक: प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/4244-63 जयपुर, दिनांक 12.01.2023 तथा संशोधित दिशा-निर्देश आदेश प.11(3)10/मो./आईसीडीएस/2022/57871-58286 दिनांक 01.03.2024 के अनुसरण में जिले की निम्नांकित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन ग्राम पंचायतों/वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, परियोजनावार रिक्त पदों की सूचना :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यकर्ता	सहायिका	कुल पद	ई-मेल आईडी
1	बांदीकुई प्रथम	2	0	2	ICDS.BANDIKUII@RAJASTHAN.GOV.IN
2	बांदीकुई द्वितीय	2	0	2	ICDS.BANDIKUIII@RAJASTHAN.GOV.IN
3	दौसा	3	5	8	ICDS.DAUSA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	लालसोट	4	5	9	ICDS.LALSOT@RAJASTHAN.GOV.IN
5	लवाण	0	2	2	ICDS.LAWAN@RAJASTHAN.GOV.IN
6	महवा	6	1	7	ICDS.MAHUWA@RAJASTHAN.GOV.IN
7	सिकराय	2	2	4	ICDS.SIKRAI@RAJASTHAN.GOV.IN
योग		19	15	34	

नोट:-रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी/शर्तें उप निदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति में उल्लेखित आंगनबाड़ी केन्द्रों के मानदेय कार्मिकों के रिक्त पदों पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 सांय 6.00 बजे तक है।


(विजय कुमार)

उपनिदेशक


महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

दिनांक 11/07/2024

क्रमांक ५५७३-५५०७

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, दौसा।
- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा।
- श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
- विकास अधिकारी समस्त जिला दौसा।
- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका-बांदीकुई/लवाण/मण्डावर/भाण्डारेज/बसवा/सिकराय।
- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला दौसा को भेजकर लेख है उक्त विज्ञप्ति की एक कॉपी संबंधित पंचायत समितियों और नगरपरिषद/नगरपालिका मुख्यालयों एवं रिक्त पदों वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।
- सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर, दौसा को डी.आई.पी.आर दरों पर दौसा जिले के स्थानीय संस्करण में प्रकाशनार्थ।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड/लेखा शाखा/बिल शाखा/संस्थापन/रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग
दौसा

कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, दौसा जिला-दौसा (राज.)

परियोजनावार रिक्त पदों का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	परियोजना	ग्राम पंचायत/ नगरपरिषद/ नगरपालिका का नाम	आं0बा0 केन्द्र का नाम	रिक्त पद	आरक्षित वर्ग	
				कार्यकर्ता / सहायिका		
1	बांदीकुई प्रथम	नगरपालिका बसवा	बसवा 8	कार्यकर्ता	सामान्य	
2		नगरपालिका बांदीकुई	वार्ड न.15	कार्यकर्ता	सामान्य	
3	बांदीकुई-द्वितीय	गुढाकटला	गुढाकटला 3	कार्यकर्ता	सामान्य	
4		गुढाकटला	गुढाकटला 5	कार्यकर्ता	सामान्य	
5	दौसा	नगरपालिका भाण्डारेज	भाण्डारेज 7	कार्यकर्ता	सामान्य	
6		कालाखो	कालाखो 2	कार्यकर्ता	एस.सी.	
7		सैथल	सैथल 2	कार्यकर्ता	सामान्य	
8		नगरपरिषद दौसा	वार्ड.न. 30	सहायिका	सामान्य	
9		खुरी कलां	खुरी खुर्द	सहायिका	सामान्य	
10		नांगल बैरसी	नांगल बैरसी 2	सहायिका	सामान्य	
11		सैथल	सैथल 2	सहायिका	सामान्य	
12		बिशनपुरा	सिंगपुरा	सहायिका	सामान्य	
13		लालसोट	होदायली	होदायली	कार्यकर्ता	सामान्य
14			कांकरिया	कानलोदा	कार्यकर्ता	एस.टी.
15			कुशलपुरा	नापा का बास	कार्यकर्ता	सामान्य
16	कालूवास		कालूवास	कार्यकर्ता	सामान्य	
17	श्रीमा		श्रीमा 1	सहायिका	सामान्य	
18	बिलौना खुर्द		बिलौना खुर्द	सहायिका	एस.टी.	
19	कुशलपुरा		नापा का बास	सहायिका	सामान्य	
20	सोनड		सिन्डोली	सहायिका	सामान्य	
21	दौलतपुरा		दौलतपुरा-1	सहायिका	सामान्य	
22	लवाण		हापावास	हापावास 2	सहायिका	एस. टी.
23			खानपुरा	खानपुरा	सहायिका	सामान्य
24	महवा	धौलाखेडा	धौलाखेडा 1	कार्यकर्ता	सामान्य	
25		रौत हडिया	हडिया 2	कार्यकर्ता	अल्पसंख्यक	
26		ठेकडा	नयागांव	कार्यकर्ता	एस.टी.	
27		खोहरा मुल्ला	नौगांव	कार्यकर्ता	सामान्य	
28		गाजीपुर	मीनाखेडिया	कार्यकर्ता	एस.टी.	
29		नगरपालिका मण्डावर	पाखर-1	कार्यकर्ता	एस.टी.	
30		नगरपालिका महवा	महवा 1	सहायिका	सामान्य	
31		सिकराय	गढ	गढ-2	कार्यकर्ता	सामान्य
32	बहरावण्डा		बहरावण्डा-2	कार्यकर्ता	सामान्य	
33	पाडली		पाडली	सहायिका	एस.टी.	
34	सरुण्डला		सरुण्डला-1	सहायिका	सामान्य	

नोट:- शहरी क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत वार्ड के अनुसार रिक्त पद अंकित किये हुये है। परिसीमन उपरान्त नवीन वार्ड संख्या भिन्न हो सकती है। जिसकी जानकारी संबंधित परियोजना कार्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है।

चयन हेतु वांछित पात्रता:-

- ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उस राजस्व ग्राम/वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए एवं विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जायेगा। आंगनबाड़ी मानदेयकर्मी के पद पर आवेदन हेतु विवाहित एवं अविवाहित महिला दोनों पात्र होंगी किन्तु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थायी निवासी नहीं रहती है तो स्वतः ही मानदेय सेवा समाप्त मानी जायेगी। इस आशय का अण्डर टेकिंग (शपथ-पत्र) चयन के आवेदन करते समय ही देना होगा। विभाग द्वारा भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरांत मानदेय सेवा से हटा दिया जायेगा।
- स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जनाधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण-पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छायाप्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जावे।
 - आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।
 - शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र के कवरेज क्षेत्र के वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में ही निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है।
 - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम बारहवीं उत्तीर्ण महिला ही आवेदन कर सकती है।
 - विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक की होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उस पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
 - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया गया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
 - परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति के सक्षम स्तर न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि से जारी आदेश/डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जावे।
 - यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली/फर्जी/कूटरचित पाया जाता है तो ऐसे आवेदक का आवेदन पत्र तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जायेगा तथा ऐसा आवेदक भविष्य में भी मानदेयकर्मी हेतु चयन का पात्र नहीं होगा।
 - जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उक्त पद संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन कीमी लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (किमी लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे नॉन कीमी लेयर संबंधी सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है।) अर्थात् आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन किमीलेयर का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ-पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य निर्देश लागू होंगे।
 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्गों (EWS) के व्यक्तियों को Income and Asset Certificate एक वर्ष के लिए मान्य होंगे। EWS के जारी प्रमाण पत्र आवेदक महिला का EWS का प्रमाण पत्र मय सत्यापित शपथ-पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जा सकेंगे एवं इसके संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
 - रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र संबंधित सीडीपीओ कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट <http://wcd.rajasthan.gov.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।
 - आवेदन फार्म ऑफलाइन संबंधित सीडीपीओ कार्यालयों में दो प्रतियों में अंतिम तिथि 12 अगस्त 2024 सांय 6.00 बजे तक व्यक्तिशः जमा कराये जायेंगे एवं आवेदक प्राप्ति रसीद अवश्य लेवे।
 - आवेदन पत्र के साथ (1) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र/दिव्यांग (5) आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (6) आर.एस.सी.आई.टी/पी.जी.डी.सी.ए इत्यादि दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।
 - आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करवाये जाने के पश्चात् त्रुटिवश संलग्न किये जाने से वंचित किसी भी प्रकार की कमी-पूर्ति हेतु संलग्न करवाये जाने वाले दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जावेगा।


(विजय कुमार)
उपनिदेशक